दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 8 दिसंबर, 2023

सि.मू.(वाणि.बौ.सं.अनु.-प्र.लि.) 6/2023, अंतर.आ. 12778/2023 एवं 12779/2023

ह्यूगो बॉस ट्रेडमार्क मैनेजमेंट
जी.एम.बी.एच. और कं. के.जी. ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री ऋषि बंसल और श्री मनकरन सिंह, अधिवक्तागण (मोबा: 9718833632)

बनाम

संदीप अरोड़ा अर्रास द बॉस के नाम
से कारोबार कर रहे हैं और अन्य ... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, कें.सर.स्था. अधि. के साथ श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री अलेक्जेंडर मथाई पैकाडे, श्री कृष्णन वी., अधिवक्तागण (मोबा: 9810788606), प्र-2 और प्र-3 के लिए।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह

निर्णय

प्रतिभा एम. सिंह न्या.

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड के द्वारा की गई है।

पृष्ठभूमि

2. रजिस्टर के सुधार की मांग करने वाली वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता-हुगो बॉस ट्रेडमार्क प्रबंधन जी.एम.बी.एच. और कं. के.जी. द्वारा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (*इसके बाद 'अधि*नियम') की धारा 50 के तहत दायर की गई है। याचिकाकर्ता कॉपीराइट पंजीकरण सं. ए-136350/2021 (*इसके बाद 'आक्षेपित पंजीकरण'*) वाले 'अर्रास द बॉस' शीर्षक वाले कॉपीराइट पंजीकरण को हटाने/निकालने की मांग कर रहा है। श्री संदीप अरोड़ा ने डायरी सं. 464/2021-सी.ओ./ए के तहत 7 जनवरी, 2021 को आक्षेपित पंजीकरण प्राप्त किया है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह व्यापार चिह्न 'हुगो बॉस' और 'बॉस' के साथ-साथ अन्य 'बॉस' रचनात्मक चिह्नों का पंजीकृत मालिक है, जिसे उसने पहली बार वर्ष 1923 में अपनाया था। उक्त चिह्नों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा 1984 में सुगंध और इत्र के विपणन और विक्रय के उद्देश्य से 'ह्यूगो बॉस' चिह्न को अपनाया

गया था। याचिकाकर्ता के बारे में कहा जाता है कि वर्ष 2020 में उसकी दुनिया भर में 1.90 करोड़ यूरो का विक्रय हुआ था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने वर्ष 2010 में 26.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के शुद्ध लाभ के साथ दुनिया भर में 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का विक्रय किया था।

4. प्रत्यर्थी सं. 1- संदीप अरोड़ा के बारे में कहा जाता है कि वह इत्र से संबंधित वस्तुओं/उत्पादों की विक्रय के व्यवसाय में लगा हुआ है। प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 क्रमशः व्यापार चिह्न के पंजीयक और कॉपीराइट के पंजीयक हैं।

<u>न्यायालय के समक्ष कार्यवाही</u>

5. इस याचिका में इस न्यायालय द्वारा 19 जुलाई, 2023 को नोटिस जारी किया गया था। उक्त तिथि पर, न्यायालय ने याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 के चिह्न और लेबल पर भी विचार किया। उक्त तिथि पर सी.जी.पी.डी.टी.एम. के कार्यालय से अभिलेख भी मांगे गए थे।

6. 22 नवंबर, 2023 के आदेश के अनुसार, विद्वान संयुक्त पंजीयक ने अभिलिखित किया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 को 14 सितंबर, 2023 को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है। उक्त आदेश को नीचे उद्धृत किया गया है:

> *"प्रत्यर्थी सं. 1 को रजिस्ट्री के द्वारा या याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए स्पीड पोस्ट/कूरियर के द्वारा तामील नहीं की जा*

सकी। हालाँकि, तामील की दिनांक 15.09.2023 के हलफनामे के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 1 को 14.09.2023 को ईमेल के द्वारा तामील किया गया था। प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 को भी ईमेल के द्वारा तामील किया गया था।
मामला पहले से ही 08.12.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है।
आगे के निर्देशों के लिए पहले से ही निर्धारित तिथि यानी 08.12.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाय।

संक्षिप्त तथ्य

7. चिह्न 'बॉस' भारत सहित दुनिया के कई देशों में एक पंजीकृत व्यापार चिह्न है। भारत में उक्त व्यापार चिह्न पंजीकरणों में से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**व्यापार चिह्न**	**आवेदन सं.**	**आवेदन की तिथि**	**वर्ग**	**उपयोगकर्ता**
1	BOSS	502837	23-12-1988	3	उपयोग के लिए प्रस्तावित
2	BOSS	944967	03-08-2000	14	01/06/2000
3	BOSS	957566	20-09-	9	उपयोग के लिए

			2000		प्रस्तावित
4	BOSS AQUA	766732	21/08/1997	3	उपयोग के लिए प्रस्तावित
5	HUGO BOSS	4498555	10-05-2020	3	19/06/2003
6	HUGO HUGO BOSS	4182182	21/05/2019	35	उपयोग के लिए प्रस्तावित
7	HUGO	4373357	10-12-2019	3	19/06/2003
8	BOSS BOTTLED	4432674	06-02-2020	3	31/03/2012
9	HUGO HUGO BOSS	610823	01/11/1993	18	01/11/2023
10	BOSS	861272	16/06/1999	14	उपयोग के लिए प्रस्तावित

8. जिस तरह से याचिकाकर्ता इत्र के लिए 'बॉस' चिह्न का उपयोग करता है, उसे निम्नलिखित प्रतिबिम्बों द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है:

9. इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपने चिह्न 'बॉस' और 'ह्यूगो बॉस' का उपयोग विभिन्न रूपों में शैलीबद्ध तरीके से करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

BOSS HUGO BOSS	HUGO BOSS	BOSS

10. याचिकाकर्ता के पास 'बॉस' की विभिन्न लेखन शैलियों के अधिकार भी हैं और याचिकाकर्ता के अनुसार, 'बॉस' चिह्न ने भी एक प्रसिद्ध चिह्न का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जहां तक भारतीय ग्राहकों का संबंध है, याचिकाकर्ता के उत्पादों का व्यापक रूप से उसकी वैश्विक वेबसाइट www.hugoboss.com और

www.hugoboss.in पर बहुत अधिक विज्ञापन किया जाता है। इसके 1200 से अधिक स्टोर हैं और जो दुनिया भर में कई फ्रेंचाइजी के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, साथ ही भारत, हांगकांग, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, एशिया में संयुक्त अरब अमीरात, पूर्वी यूरोप में साइप्रस और ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूरोप में आइसलैंड और दक्षिण अमेरिका में मैक्सिको सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी संचालित किए जा रहे हैं। वादी के उत्पादों का विज्ञापन टाइम, न्यूजवीक, फॉर्च्यून, द इकोनॉमिस्ट, द बिजनेस वर्ल्ड, एग्जीक्यूटिव, वोग, जीक्यू, फोर्ब्स, वैनिटी फेयर आदि सहित कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी किया जाता है।

11. याचिकाकर्ता की फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (पहले ट्विटर) आदि सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी बड़ी उपस्थिति है। याचिका में याचिकाकर्ता की व्यापक ख्याति का उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

> *"24. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर आदि पर मजबूत उपस्थिति है। 23 मई, 2023 तक, फेसबुक पर "ह्यूगो" चिह्न वाले याचिकाकर्ता के पृष्ठ के लगभग 713,186 अनुगामी थे और "बॉस" के 8488503 अनुगामी थे। हुगो और बॉस के यूट्यूब पेज पर क्रमशः 10.7 हजार और 182 हजार अभिदाता थे। "ह्यूगो" और*

"बॉस" के इंस्टाग्राम पेज पर 17 लाख और 11 लाख अनुगामी थे, पिंटरेस्ट पेज पर ह्यूगो बॉस के 708 हजार और ह्यूगो बॉस के 97.9 लाख अनुगामी थे। ये सभी याचिकाकर्ता के उक्त व्यापार चिह्न/लेबल के तहत संचालित किए जा रहे हैं।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

12. वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 1 के कॉपीराइट पंजीकरण संख्या ए-136350/2021 से पीड़ित होने का दावा किया है।

13. प्रत्यर्थी सं. 1 के पंजीकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	शीर्षक	कलात्मक कृति	पंजीकरण सं.
1.	अर्रास द बॉस		ए-136350/2021

14. इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने ऊपर उद्धृत कलात्मक कार्य को रद्द करने की प्रार्थना किया है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि बंसल ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी विभिन्न चिह्नों में अधिकारों का आदतन उल्लंघनकर्ता है। इस बात को साबित करने के लिए, उन्होंने व्यापार चिह्नों की

एक बड़ी सूची सौंपी है, जिसके लिए प्रत्यर्थी सं. 1 ने आवेदन किया है। इसके अलावा, उनहोंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं. 1 - श्री संदीप अरोड़ा ने भी व्यापार चिह्न के रूप में 'बॉस' चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जिसे व्यापार चिह्न के पंजीयक ने वर्ग 3 में याचिकाकर्ता के व्यापार चिह्न सं. 4732764 का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया था। आवेदन 5 नवंबर, 2020 को प्रस्तावित उपयोग के आधार पर दायर किया गया था। जिस डिवाइस के लिए प्रत्यर्थी ने आवेदन किया था, उसे नीचे दिया गया है:

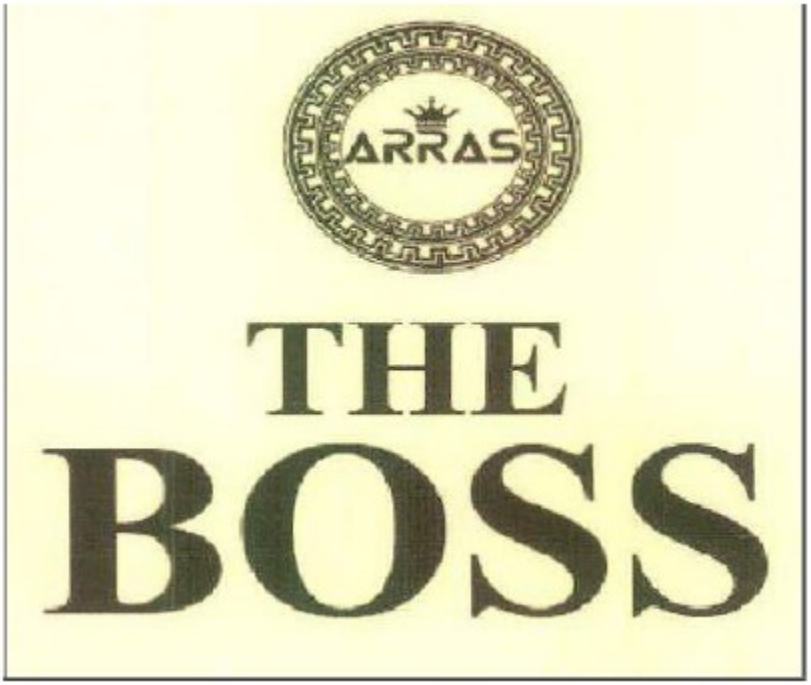

15. न्यायालय ने नोट किया है कि अधिनियम की धारा 45 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि जब कोई व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में उपयोग किए गए या संभावित रूप से उपयोग किए गए कलात्मक कृतियों के लिए

कॉपीराइट पंजीकरण की मांग कर रहा है, तो कॉपीराइट पंजीकरण के लिए आवेदन में इस उपयोग को स्वीकार करने वाला एक कथन शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उक्त आवेदन में व्यापार चिह्न पंजीयक से एक प्रमाण पत्र शामिल होना चाहिए कि कलात्मक कृति के समान या भ्रामक रूप से कोई भी व्यापार चिह्न आवेदक के अलावा किसी और द्वारा पंजीकृत या आवेदन नहीं किया गया है। यह आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि कलात्मक कृति मौजूदा व्यापार चिह्न का उल्लंघन नहीं करता है। अधिनियम की धारा 45 नीचे दी गई हैः

> *"45. कॉपीराइट के रजिस्टर में प्रविष्टियाँ – (1) किसी भी कृति का लेखक या प्रकाशक, या स्वामी या कॉपीराइट में हितबद्ध अन्य व्यक्ति, कॉपीराइट के रजिस्टर में कृति का विवरण दर्ज करने के लिए कॉपीराइट के पंजीयक को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है:*
>
> *<u>बशर्ते कि किसी ऐसी कलात्मक कृति के संबंध में जो किसी वस्तु या सेवा के संबंध में उपयोग की जाती है या उपयोग करने में सक्षम है, आवेदन में उस आशय का एक विवरण शामिल होगा और उसके साथ व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 3 में निर्दिष्ट व्यापार चिह्न पंजीयक का एक प्रमाण पत्र होगा, इस आशय से कि उस अधिनियम के तहत ऐसी कलात्मक कृति के समान या भ्रामक रूप से समान कोई व्यापार चिह्न पंजीकृत नहीं किया गया है, या यह कि आवेदक के अलावा किसी अन्य</u>*

<u>व्यक्ति द्वारा ऐसे पंजीकरण के लिए उस अधिनियम के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है।</u>
(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी कृति के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर, कॉपीराइट के पंजीयक, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, कॉपीराइट रजिस्टर में कार्य का विवरण दर्ज कर सकता है।

16. इस न्यायालय ने 20 अप्रैल, 2018 के फैसले के द्वारा, ***मैरिको लिमिटेड बनाम जगित कौर, 2018 एस.सी.सी. दिल्. 8488*** में कहा था कि हालांकि व्यापार चिह्न और कॉपीराइट अलग-अलग कानूनों के तहत काम करते हैं, क्योंकि एक मूल कलात्मक कृति में अधिकार व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत लेबल चिह्नों के साथ अतिव्याप्ति हो सकते हैं, इसलिए विधायिका ने अपने विवेक से कॉपीराइट अधिनियम की धारा 45 में एक परंतुक जोड़ा है। स्पष्ट रूप से, इस प्रावधान को अधिनियम में शामिल किया गया है ताकि बेईमान व्यक्तियों को किसी कलात्मक कृति में कॉपीराइट के स्वामित्व के झूठे दावे के तहत शरण लेने के इरादे से लेबल के चिह्न की नकल करने से रोका जा सके। निस्संदेह, यह परंतुक इस मामले में भी लागू होगा।

17. वर्तमान मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और कानूनी स्थिति के बावजूद, जब प्रत्यर्थी सं. 1 ने आक्षेपित कलात्मक कृति के लिए कॉपीराइट पंजीकरण की मांग की, तो उक्त प्रत्यर्थी ने व्यापार चिह्न के पंजीयक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके बाद, 4 जनवरी, 2021 को एक खोज प्रमाण पत्र जारी किया

गया था जिसमें कहा गया था कि व्यापार चिह्नों के रजिस्टर के अभिलेख पर ऐसा कोई चिह्न मौजूद नहीं है। उक्त प्रमाणपत्र इस प्रकार है:

559

INTELLECTUAL PROPERTY INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS DIVISION
INTELLECTUAL PROPERTY BHAVAN
BESIDE ANTOP HILL POST OFFICE
MUMBAI-400037

सं./No.TMR-CC.No 104891

खोज प्रमाणपत्र/SEARCH CERTIFICATE

(व्यापार चिह्न अधिनियम, 2017 के नियम 22(1) के तहत)
(Under Rule 22 (1) of the Trade Marks Rules, 2017)
(कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 45(1) के अधीन पूर्वोक्त हेतु)
(FOR USE UNDER SECTION 45(1) OF THE COPYRIGHT ACT, 1957)

MR. SANDEEP ARORA.,
D/1504, OCTACREST BUILDING, BEHIND CENTRIUM MALL, NEAR LOKHANDWALA CIRCLE, LOKHANDWALA TOWNSHIP, KANDIVALI EAST, MUMBAI- 400 101 के
निम्न प्रदर्शित कलात्मक कार्य के कॉपीराइट पंजीकरण के संदर्भ में
IN THE MATTER Of Copyright Registration of an artistic Work
depicted below of MR. SANDEEP ARORA.,
D/1504, OCTACREST BUILDING, BEHIND CENTRIUM MALL, NEAR LOKHANDWALA CIRCLE, LOKHANDWALA TOWNSHIP, KANDIVALI EAST, MUMBAI- 400 101

आपके आवेदन के कलात्मक कार्य के लिए व्यापार चिह्न पंजीकरण के अभिलेखों की खोज मैंने की है और यह प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय के कंप्यूटर अभिलेख के अनुसार उक्त कलात्मक कार्य (एतद् द्वारा संलग्न) के सदृश या आगक रूप से सगान कोई व्यापार चिह्न (आवेदक के व्यापार चिह्न के अतिरिक्त) व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत अथवा पंजीकरण हेतु आवेदित नहीं है।

I have made the search from the Records of the Register of Trade Marks for the artistic work applied by you and it is certified that no Trade Marks(except the applicant's own Trade Mark) has been registered or applied for registration under the Trade Marks Act 1999 as per Computer Record of this office.

दिनांकित/Dated this Monday 04th day of January 2021

लेबेल यथा संलग्न/Label As Annexed

(S. B. PALO)
DEPUTY REGISTRAR OF TRADE MARKS.

18. तदनुसार, कलात्मक कृति, जिसके लिए प्रत्यर्थी ने आवेदन किया था, कॉपीराइट अधिनियम के तहत पंजीकृत हो गया।

19. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एकसमान चिह्न का उपयोग कलात्मक कृति के रूप में भी किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के अधिकार का पूर्ण उल्लंघन होगा। इसके अलावा, 'बॉस' चिह्न को पंजीकृत नहीं किया जा सकता था और खोज प्रमाणपत्र भी पूरी तरह से असमर्थनीय था। श्री बंसल ने प्रस्तुत किया कि कॉपीराइट पंजीकरण समाप्त किया जाना चाहिए।

20. अधिनियम की धारा 50 के तहत, कोई भी प्रविष्टि जो गलत तरीके से की गई है और रजिस्टर में रह गई है, उसे उच्च न्यायालय के समक्ष सुधार याचिका दायर करके हटाया जा सकता है। इस तरह की सुधार याचिका, पंजीकरण द्वारा किसी भी 'पीड़ित व्यक्ति' द्वारा दायर की जा सकती है। अधिनियम की धारा 50 त्वरित संदर्भ हेतु नीचे दी गई है:

> *"50. उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्टर में सुधार – उच्च न्यायालय, कॉपीराइट पंजीयक या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर, कॉपीराइट रजिस्टर में सुधार का आदेश देगा–*

(क) रजिस्टर में गलत तरीके से की गई किसी प्रविष्टि को ठीक करना, या
(ख) रजिस्टर में गलत तरीके से की गई या रह गई किसी प्रविष्टि को हटाना, या
(ग) रजिस्टर में किसी भी त्रुटि या दोष को सुधारना।

21. हालाँकि, 'पीड़ित व्यक्ति' शब्द को कॉपीराइट अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उक्त शब्द/अभिव्यक्ति का उपयोग भारत में कई कानूनों में किया गया है। ***महाराष्ट्र बार काउंसिल बनाम एम.वी. दाभोलकर और अन्य, (1975) 2 एस.सी.सी. 702*** में उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया था:

*"शब्द 'पीड़ित व्यक्ति' कई कानूनों में पाए जाते हैं। **"पीड़ित व्यक्ति" शब्द का अर्थ कानून के उद्देश्य और प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना होगा।** कभी-कभी, यह कहा जाता है कि "पीड़ित व्यक्ति" शब्द न्यायिक उपायों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सुने जाने के अधिकार की आवश्यकता के अनुरूप हैं।"*

22. 26 मई, 2005 के निर्णय द्वारा ***श्री गंगा विष्णु रहेजा बनाम श्री स्वामी सत्यानंद धर्मार्थ ट्रस्ट, 2005 (30) पी.टी.सी. 577 दिल.*** मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ ने कहा था कि हालांकि व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उद्देश्य और आशय अलग-अलग थे, लेकिन न्यायालय अलग-अलग कानूनों में दी गई दो समान अभिव्यक्तियों की

व्याख्या और अर्थ पर विचार कर सकती हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

> *"21. इसलिए, जो मुद्दा हमारे विचार के लिए आता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी को 'पीड़ित व्यक्ति' कहा जा सकता है जो स्वामी जी द्वारा लिखित और प्रत्यर्थी न्यास के पक्ष में पंजीकृत सभी 11 पुस्तकों के संबंध में कॉपीराइट के पंजीकरण को रद्द करने की मांग कर सकता है। उपरोक्त मुद्दा कॉपीराइट बोर्ड के समक्ष पक्षकारगण के बीच विवाद का कारण था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता 'पीड़ित व्यक्ति' नहीं है। इसलिए, वही प्रश्न हमारे समक्ष हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है कि क्या अपीलार्थी को पीड़ित व्यक्ति कहा जा सकता है या नहीं। उक्त अभिव्यक्ति को कॉपीराइट अधिनियम या व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। कॉपीराइट अधिनियम और व्यापार चिह्न अधिनियम का उद्देश्य और आशय समान नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए उपरोक्त दो अधिनियमों को अधिनियमित किया गया था और जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, वे स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं। **फिर भी यह हमें एकसमान अभिव्यक्ति और विभिन्न विधानों के तहत एक ही अभिव्यक्ति की दी गई व्याख्या और अर्थ पर विचार करने से नहीं रोकता है।** नेशनल बेल कंपनी (पूर्वोक्त) के निर्णय में, व्यापार चिह्न अधिनियम के संदर्भ में पीड़ित व्यक्ति अभिव्यक्ति की अर्थ और व्याख्या दी गई है। उक्त निर्णय के अनुसार, उक्त अभिव्यक्ति में वः व्यक्ति शामिल*

है जिसके खिलाफ उल्लंघन की कार्रवाई की गई है या धमकी दी गई है।

23. 'पीड़ित व्यक्ति' वह व्यक्ति होता है, जिसका कृति या चिह्न में वास्तविक और ठोस हित है। वर्तमान मामले के संदर्भ में, याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से 'बॉस' चिह्न में अपने सामान्य कानून अधिकारों और वैधानिक अधिकारों के कारण पीड़ित व्यक्ति है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 एक ही व्यापार, यानी इत्र और सुगंध में काम कर रहे हैं, यह विश्वास करना उचित है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा धारित आक्षेपित कॉपीराइट पंजीकरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। याचिकाकर्ता इस तथ्य के कारण गंभीर रूप से पीड़ित होगा कि कॉपीराइट का पंजीकरण 'बॉस' चिह्न में याचिकाकर्ता के अधिकारों को कमजोर और क्षीण कर देगा जो उस कृति का एक अभिन्न अंग है जिसके लिए प्रत्यर्थी ने पंजीकरण प्राप्त किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से एक 'पीड़ित व्यक्ति' है।

24. प्रत्यर्थी के आक्षेपित कलात्मक कृति और याचिकाकर्ता के लेबलों में से एक की तुलनात्मक तालिका नीचे दी गई है:

आक्षेपित कॉपीराइट पंजीकरण	याचिकाकर्ता का लेबल/व्यापार चिह्न

25. यह न्यायालय भी ***मैरिको (पूर्वोक्त)*** में अभिनिर्धारित किया है कि जब दो लेबल या कलात्मक कृतियों की तुलना की जाती है, तो यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे मूल हैं, दोनों लेबल/कृतियों की व्यापक विशेषताओं की तुलना की जानी चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि कलात्मक कार्य में प्रयुक्त रंग संयोजन और वस्तुएं/विषय भी पर्याप्त समानता/पुनरुत्पादन के साथ-साथ रंग-योग्य नकल का निर्धारण करने में एक कारक हैं। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किए गए है:

> *"6. ऊपर उद्धृत किए गए लेबलों के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों लेबलों की तुलनात्मक विशेषताएं इतनी समान हैं कि "निहाल उत्तम" लेबल को सुरक्षित रूप से रंगीन नकल या वास्तविक प्रतिकृति कहा जा सकता है। **दोनों लेबलों के बीच रंग व्यवस्था समान है। जिस प्रकार से***

नारियल के पेड़ को व्यवस्थित किया गया है, उसी प्रकार से दो टूटे हुए नारियलों की व्यवस्था भी समान है। *बाजार में लंबे समय तक उपयोगकर्ता होने के कारण, अपीलार्थी के लेबल का काफी व्यापक रूप से उपयोग किया गया था और इसलिए प्रत्यर्थी के पास अपीलार्थी के लेबल तक पहुंच थी। विधि में यह सुस्थापित स्थिति है कि जब दो लेबल या कलात्मक कृतियों की तुलना की जाती है, तो व्यापक विशेषताओं की तुलना की जानी चाहिए, न कि दोनों लेबलों को एक साथ रखकर। पार्ले प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड बनाम जे. पी. एंड कंपनी, मैसूर (1972) 1 एस.सी.सी. 618 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:*

> *"9. इसलिए यह स्पष्ट है कि* ***इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या एक चिह्न भ्रामक रूप से दूसरे के समान है, दोनों की व्यापक और आवश्यक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए।*** *उन्हें यह पता लगाने के लिए साथ-साथ नहीं रखा जाना चाहिए कि क्या डिजाइन में कोई अंतर तो नहीं है, और यदि है तो क्या वे ऐसे हैं कि एक डिजाइन को दूसरे के साथ गलत नहीं समझा जा सके। यह पर्याप्त होगा यदि आक्षेपित चिह्न पंजीकृत चिह्न के साथ इतनी समग्र समानता रखता है कि एक व्यक्ति को गुमराह करने की संभावना हो जो आमतौर पर एक के साथ काम करता है, अगर उसे दूसरे की पेशकश की जाती है तो उसे स्वीकार कर ले। इस मामले में हम पाते हैं कि पैकेट व्यावहारिक रूप से एक ही आकार के हैं, दोनों आवरणों की रंग योजना लगभग समान है, दोनों के*

डिजाइन हालाँकि समान नहीं है, लेकिन इतना मिलता-जुलता है कि एक को आसानी से दूसरे के साथ भ्रमित किया जा सकता है। दोनों की मुख्य विशेषताएँ यह हैं कि एक लड़की है जिसका एक हाथ उठा हुआ है और वह दूसरे हाथ में कुछ ली हुई है और उसके पास एक गाय या गायें हैं तथा सामने मुर्गियाँ या चूजे हैं। पृष्ठभूमि में बाड़ के साथ एक फार्म हाउस है। एक में "ग्लूकोज बिस्कुट" और दूसरी में "ग्लूकोज बिस्कुट" शब्द दोनों लेखन के बीच काफी समानता के साथ शीर्ष पर एक प्रमुख स्थान रखता है। हमारी राय में कोई भी व्यक्ति जो आज के दिन एक पैकेट को देखता है, अगर दूसरे दिन दिखाया जाता है तो वह आसानी से दूसरे को वही वस्तु समझ सकता है जो उसने पहले देखा था। <u>यदि कोई व्यक्ति वादी के सामान पर लगे रैपर की विशेष विशेषताओं को ध्यान से नहीं देख पाता है, तो यदि उसे वादी के सामान को देखने के कुछ समय बाद प्रतिवादी का रैपर दिखाया जाता है, तो वह आसानी से प्रतिवादी के रैपर को वादी का समझ सकता है।</u> आखिरकार, एक साधारण क्रेता के पास शर्लक होम्स जैसी अवलोकन शक्ति नहीं होती है। इसलिए हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादीगण का रैपर भ्रामक रूप से वादी के समान है जो पंजीकृत किया गया था। हम न्यायालय में निर्दिष्ट निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि हमारे विचार में प्रत्येक मामले का निर्णय उसकी अपनी

विशेषताओं के आधार पर किया जाना चाहिए और यह ध्यान देने से कोई फायदा नहीं होगा कि कितने बिंदुओं पर समानता थी और कितने अन्य बिंदुओं पर समानता नहीं थी।"

यद्यपि उपरोक्त अवलोकन को पासिंग ऑफ एक्शन में लेबल के चिह्न की तुलना के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, फिर भी कलात्मक कृतियों के लेबलों की तुलना के लिए जाँच समान होंगे।

xxx xxx xxx

13. व्यापार चिह्न पंजीयक की वेबसाइट के अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने 'निहाल उत्तम' के लिए सं. 1105118, 'निहाल ऐक्टिव वॉशिंग पावडर' के लिए सं. 1452054, 'निहाल ऐक्टिव (लेबल)' के लिए सं. 1452057, निहाल ऐक्टिव फ्रेश, वॉशिंग मशीन एवं बबल्स (लेबल)' डिवाइस के लिए सं. 1584396, और 'निहाल गोल्ड, जेके (मोनो), नारियल, नारियल ट्री और ड्राप (लेबल)' डिवाइस के लिए सं. 1584398 वाले विभिन्न व्यापार चिह्न के पंजीकरण का प्रयास किया है। उपरोक्त सभी व्यापार चिह्न को अस्वीकार कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है या विरोध किया गया है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी की नकल करने और अपीलार्थी के विभिन्न चिह्नों और लेबलों की प्रतिलिपि बनाने का विशेष प्रयास कर रहा है। प्रत्यर्थी का आचरण स्पष्ट रूप से बेईमानीपूर्ण है और इस प्रकार, मुंडे बनाम कैरी (1905) आर.पी.सी. 273 में 276 पर न्यायमूर्ति केकेविच का उक्ति

स्पष्ट रूप से लागू होता है जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> ***"जहाँ आप बेईमानी देखते हैं, तब भले ही समानता यहाँ की तुलना में कम थी, मुझे लगता है कि आपको समानता की वस्तुओं पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और असमानता की वस्तुओं पर कम ध्यान देना चाहिए***

26. अधिनियम की धारा 13(1)(क) के निबंधनानुसार, कॉपीराइट संरक्षण प्राप्त करने के लिए, किसी कलात्मक कृति को मौलिकता की शर्त को पूरा करना आवश्यक है। उपरोक्त तालिका को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित कलात्मक कृति निश्चित रूप से मूल कलात्मक कृति नहीं है और इसमें मुख्य रूप से 'बॉस' चिह्न शामिल है, जो प्रत्यर्थी सं. 1 से संबंधित नहीं है। यहां तक कि याचिकाकर्ता की रंग संयोजन का काफी हद तक प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अनुकरण किया गया है, इस निष्कर्ष को भी पुष्ट करती है कि आक्षेपित पंजीकरण मूल कृति नहीं है।

27. हाल ही में, 6 सितंबर, 2023 के फैसले के द्वारा, इस न्यायालय ने ***मंजू सिंघल प्रोपराइटर सिंगला फूड प्रोडक्ट्स बनाम दीपक कुमार, दीपक मनोचा, सारा सेल्स और अन्य, 2023: डीएचसीः 6445***, ***लैंडी, प्रेस्कॉट और विक्टोरिया*** की टिप्पणी, ***द मॉडर्न लॉ ऑफ कॉपीराइट एंड डिज़ाइन्स***, ***चौथे संस्करण*** का उल्लेख करते हुए, इस बात पर जोर दिया है कि 'मौलिकता' और 'सारभूत भाग' की चर्चा

में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि दो कृतियों के बीच पर्याप्त समानता है, तो बाद के कृति को मूल नहीं माना जा सकता है। उसी से प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

> *"**इसलिए मुख्य प्रश्न यह है: क्या दूसरे आदमी ने पहले आदमी द्वारा बनाई गई चीज़ का सारभूत हिस्सा ले लिया है?** अभिव्यक्ति 'कृति' मानवीय सृजन को संदर्भित करता है; कलाकृति केवल वह वस्तु है जिसमें रचना को मूर्त रूप दिया गया है, जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि कलाकृति के आकस्मिक विनाश के बाद भी कार्य का कॉपीराइट कायम रहता है। जैसा कि न्यूजीलैंड के एक मामले में न्या. प्रिचर्ड जे ने ठीक ही कहा था:*
>
> > *"यह पर्याप्त नहीं है कि उस रेखाचित्र के साथ कोई कारणात्मक संबंध हो, जिस पर वादी का कॉपीराइट है। **प्रतिवादी द्वारा बनाई गई वस्तु और उस रेखाचित्र के बीच, जिस पर वादी का कॉपीराइट है, ऐसी समानता भी होनी चाहिए, जिससे यह देखा जा सके कि रेखाचित्र बनाने में जो कौशल और प्रयास लगाया गया था, उसका एक बड़ा हिस्सा प्रतिवादी द्वारा हड़प लिया गया।***
>
> *xxx xxx xxx*
>
> *4.37 किसी महत्वपूर्ण भाग का पुनरुत्पादन किया गया है या नहीं, यह कॉपीराइट कार्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए न कि उस कार्य के संदर्भ में जिसका उल्लंघन करने का आरोप है।*

> *किसी भी विशेष मामले में प्रश्न यह है कि क्या कॉपीराइट कृति से नकल की गई विशेषताओं ने कलात्मक कृति के रूप में उस कृति का एक बड़ा हिस्सा बनाया है।* ***यह निर्णय या धारणा का प्रश्न है। हालाँकि, इसका उत्तर देने में, यह विचार करना आम तौर पर प्रासंगिक नहीं है कि जिन विशेषताओं की कथित रूप से नकल की गई है, वे भी कथित उल्लंघनकारी कार्य का एक बड़ा हिस्सा हैं या नहीं।*** *नतीजतन, भले ही कथित उल्लंघन कार्य विशेष रूप से कॉपीराइट कार्य के समान न लगे, लेकिन यह उल्लंघन के बराबर हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि, कुछ मामलों में यह अभी भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि कॉपीराइट कार्य और कथित उल्लंघन के बीच के अंतर को नजरअंदाज न किया जाए क्योंकि इससे वे यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि नकल हुई है या नहीं।*

28. कॉपीराइट का पंजीकरण केवल मूल कृतियों के संबंध में ही दिया जा सकता है। यह समझ से परे है कि व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने आक्षेपित कृति के संबंध में स्पष्ट खोज रिपोर्ट कैसे जारी की, जबकि स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी के व्यापार चिह्न आवेदन के संबंध में, याचिकाकर्ता के चिह्न को परस्पर विरोधी के रूप में उद्धृत किया गया था। खोज रिपोर्ट स्वयं अशुद्धियों से भरी हुई है और व्यापार चिह्नों के रजिस्टर के विपरीत है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी कार्य को गलत तरीके से मूल कृति बताती है, जबकि वास्तव में वह मूल कृति नहीं है

और वह पंजीकृत व्यापार चिह्न और लेबल की पर्याप्त नकल है, तो ऐसा पंजीकरण कॉपीराइट रजिस्टर में गलत तरीके से दर्ज किया गया पंजीकरण माना जाएगा। इस स्थिति और याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त पूर्व और उच्च अधिकारों को देखते हुए, प्रत्यर्थी का पंजीकरण एक प्रविष्टि है, जो गलत तरीके से किया गया है और गलत तरीके से रजिस्टर में भी रह गया है।

29. इस याचिका में 19 जुलाई, 2023 को नोटिस जारी किए गए थे। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद, प्रत्यर्थी सं. 1 मामले में पेश नहीं हुआ है। 22 नवंबर, 2023 के अंतिम आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि प्रत्यर्थी को नोटिस तामील की गई थी।

30. चूँकि प्रत्यर्थी पेश नहीं हुआ है, इसलिए प्रत्यर्थी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसके अलावा, ***दिल्ली उच्च न्यायालय बौद्धिक संपदा अधिकार अनुभाग नियमावली, 2022*** के **नियम 6** के अनुसार वर्तमान अपील में कोई साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय इसे आवश्यक समझता है क्योंकि इस मामले में तथ्य गंभीर रूप से विवादित नहीं हैं।

31. इस न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर विचार किया गया है। कलात्मक कृति 'अर्रास द बॉस' एक अनुकरणीय चिह्न और कलात्मक कृति है न कि एक मौलिक कलात्मक कृति। इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं. 1 'बॉस' चिह्न में

किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और इस प्रकार, किसी कलात्मक कृति में कॉपीराइट पंजीकरण का मालिक नहीं हो सकता है, जिसकी आवश्यक विशेषता चिह्न बॉस है। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपनाए गए चिह्नों की सूची से यह भी पता चलता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 विभिन्न प्रसिद्ध चिह्नों की आदतन नकल करने में लिप्त है। इसके बावजूद, वर्तमान मामले में, इस न्यायालय को इसमें कोई संदेह नहीं है कि खोज रिपोर्ट के स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण होने के कारण गंभीर प्रक्रियात्मक और ठोस अनियमितताओं के कारण कॉपीराइट पंजीकरण प्रदान करना त्रुटिपूर्ण है।

32. तदनुसार, कॉपीराइट पंजीकरण सं. ए-136350/2021 को कॉपीराइट रजिस्टर से हटा दिया गया है और रद्द कर दिया गया है। इस आदेश को चार सप्ताह के भीतर सी.जी.पी.डी.टी.एम. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।

33. तदनुसार, याचिका की अनुमति दी जाती है और उसका निपटान किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

34. रजिस्ट्री को इस आदेश के अनुपालन के लिए ई-मेल- llc-ipo@gov.in पर भारत के पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय को वर्तमान आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

प्रतिभा एम. सिंह
न्यायाधीश

08 दिसंबर, 2023/डी.के./ए.एम.

[संशोधित और 13 दिसंबर, 2023 को प्रकाशित किया गया]

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*